

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दंडप्रसंग

प्रथम पक्ष – उलूपी कुमारी ।

बनाम

वाद सं० 44 / 2023

द्वितीय पक्ष – विश्वनाथ गोप बगैरह ।

आदेश की सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 10 / 2023 दिनांक 29 / 05 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) उलूपी कुमारी उम्र 30 वर्ष पिता स्व० हृदय नायक, ग्राम डीपाटोली थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) विश्वनाथ गोप उम्र 60 वर्ष पिता देवनाथ गोप (2) संतोष गोप उम्र 30 वर्ष (3) मुकेश गोप उम्र 24 वर्ष पिता विश्वनाथ गोप (4) बिमला देवी उम्र 50 वर्ष पति विश्वनाथ गोप सभी ग्राम डहुडांड, थाना पालकोट जिला गुमला के बीच जमीन विवाद मौजा पालकोट के खाता सं० 28, प्लॉट सं० 4392 रकबा 0.20 एकड़ भूमि को लेकर विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा शांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	